चालीहा साधक रीझवानी का सम्मान, गूंजे भजन

भोपाल (हिनप्र)।

सिंधी काउंसिल ऑफ इण्डिया संतनगर के पदाधिकारियों ने झूलेलाल चालीहा मंदिर में चालीहा साधकों का सम्मान किया। काउंसिल के मुख्य सलाहकार साबू रीझवानी का शॉल पहनाकर सम्मान किया गया।

33 वर्षों से चालीहा उत्सव मनाने एवं झूलेलालजी की 40 दिनों तक ज्योति जगाने, आराधना करने तथा पूजा अर्चना के लिए सम्मान किया गया। चन्द्रभान रीझवानी, ओमप्रकाश का साथ बैंकर्स क्लब के अध्यक्ष गुलाब जेठानी, राजेश बेलानी एवं नारी तनवानी सिंधी भजन गाए। भजनों में शिव की आराधना भी गई। जेखे झूलण जो मिलयो प्यार, बैरागढ़ जा भाग भला थिया संतन मौज मचाई तथा झूलेलाल के भजन की गूंज से समा बांधा। सम्मान करने वालों में काउंसिल के अध्यक्ष राजेश बेलानी, महासचिव गुलाब जेठानी के अतिरिक्त मुख्य सलाहकार बसंत चेलानी, नंद दादलानी, नारी तनवानी, दयाल दौलतानी, प्राचार्या किरण वाधवानी, विष्णु नाथानी, जगदीश लालवानी आदि पदाधिकारी सम्मिलित थे।

सेवासदन में कैशलेस चिकित्सा सुविधा: सेवासदन नेत्र चिकित्सालय अभी तक 21 सरकारी विभागों, उपक्रमों और विभिन्न बीमा कम्पनियों से अनुबंधित हो गया है। सरकारी विभागों में सेवारत कर्मचारी तथा उनके परिवारजन तथा बीमा कम्पनियों के पॉलिसी होल्डर अपना कार्ड और विभाग की चिकित्सा अनुमति दिखाकर कैशलेस नेत्र चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सेवासदन नेत्र चिकित्सालय ने जिन सरकारी विभागों, उपक्रमों और बीमा कम्पनियों से कैशलेस के लिए एमओयू किये हैं। भारत संचार निगम, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भारतीय विमानपत्तनम, आयुद्ध निर्माणी, पंजाब नैशनल बैंक और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारी अपना परिचय पत्र और उपचार अनुमति पत्र प्रस्तुत कर सेवासदन में आँखों का इलाज करवा सकते हैं। अस्पताल ने 12 चिकित्सा बीमा कम्पनियों के साथ भी एमओयू किये हैं इनमें के मेड-सेव, मेडी-असिस्ट, फैमिली हेल्थ प्लान-इंश्योरेंस स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, डीएचएस, भारतीय सेना की ईसीएचएस योजना, स्फूर्ति मेडीटेक, रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस, आयुष्मान भारत, एरिस्कान, एमडी इंडिया और पैरामाऊंट चिकित्सा बीमा कम्पनी हैं।

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, पौधे रोपे

भोपाल (हिनप्र)।

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर फंदा आर्गेनिक फार्मिंग क्लब के सदस्यों ने फंदा आर्गेनिक फार्मिंग पर किया पौधारोपण। पीपल,नीम के साथ-साथ गुलमोहर और शीशम के पौधे रोपने के साथ उनकी सेवा का संकल्प लिया।

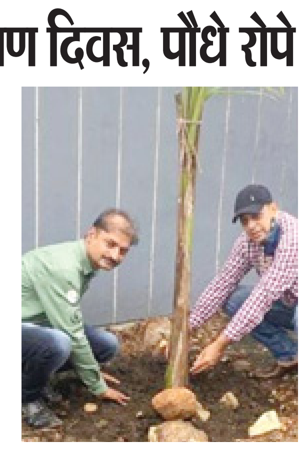

इस दौरान फंदा ऑर्गेनिक क्लब के अध्यक्ष जगदीश आसवानी ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस की बधाई दी। साथ ही कहा कि आइए हम इस अवसर पर सभी प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर प्रकृति के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें सभी को अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पेड़ों के बिना जीवन की कल्पना तक नही की जा सकती है, वृक्षारोपण प्रकृति को परिपूर्ण करता है। पेड़ है प्रकृति के प्राण, इन्हे काटकर न करो इसे निष्प्राण। पेड़ है प्रकृति की शान, वृक्षारोपण हेतु चलाओ अभियान। पेड़ है प्रकृति के वरदान का प्रतीक, इनके सुरक्षा हेतु अपनाओ नवीन तकनीक। ऐसे कई उदाहरण उन्होंने संबोधन में कहा और मौजूद लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर किशोर, महेश, राजकुमार, हरिकिशन बालानी मौजूद रहे।

कोविड क्राइसिसः इंपेक्ट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमी

भोपाल (हिनप्र)। संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय द्वारा 30 एवं 31 जुलाई को कोविड 19 क्राइसिस – इंपेक्ट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमी विषय पर अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल कान्फ्रेन्स का आयोजन किया जाएगा।

लाइट वेट क्रिप्टोग्राफ़ी का आईओटी ब्लॉक चैन सिक्योरिटी पर प्रोग्राम

भोपाल (हिनप्र)। यूआईटी.आरजीपीवी में लाइट वेट क्रिप्टोग्राफ़ी का आईओटी व ब्लॉक चैन सिक्योरिटी विषय पर पांच दिवसीय ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम रहा है। एआईसीटीई की अटल योजना में संगोष्ठी की जा रही है। प्रोग्राम 31 जुलाई तक चलेगा। संगोष्ठी में आईआईटी व एनआईटी के एक्सपर्ट के साथ विदेशी संस्थान के विशेषज्ञों के 14 तकनीकी सत्र आयोजित किये जा रहे हैं । ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़ूम के अलावा यूट्यूब एवं फेसबुक पर लाइव किया जा रहा है। इसमें 200 प्रतिभागी सम्मलित हो रहे हैं।

पेज एक से जारी खबरों के शेष...

बैंक बंद होने ...

है। पिछले साल सरकार ने पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक जैसे संकटग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को सहायता देने के लिए जमा राशि पर बीमा आवरण को पांच गुना बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया था। पीएमसी बैंक के डूबने के बाद यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक भी संकट आए, जिनका पुनर्गठन नियामक और सरकार द्वारा किया गया। जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961 में संशोधन की घोषणा वित्त मंत्री ने आम बजट में की थी।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंत्रिमंडल के इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि इस विधेयक को मौजूदा मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। विधेयक के कानून बनने के बाद इससे उन हजारों जमाकर्ताओं को तत्काल राहत मिलेगी, जिन्होंने अपना धन पीएमसी बैंक और दूसरे छोटे सहकारी बैंकों में जमा किया था।मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पांच लाख रुपये तक का जमा बीमा तब लागू होता है, जब किसी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और परिसमापन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। डीआईसीजीसी, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो बैंक जमा पर बीमा आवरण देती है।

भ्रष्ट अफसरों की ...

या नहीं। एक्ट में बदलाव को लेकर लोकायुक्त जस्टिस एनके गुप्ता ने सरकार से पूछा था कि बदलाव से पहले अनुमति क्यों नहीं ली गई? इसे लेकर उन्होंने 5 जुलाई तब जवाब मांगा था। सरकार की ओर से इसकी वजह नहीं बताई गई। इस पर जस्टिस गुप्ता ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार और प्रमुख सचिव दीप्ति गौड़ मुखर्जी को नोटिस देकर 29 जुलाई को पेश होने कहा था। इससे पहले ही सरकार ने एक्ट से धारा 17 ए को हटा दी।

भाजपा ही दिलवाएगी...

करेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार एक बार फिर उच्च न्यायालय में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के लिए पूरी ताकत के साथ अपना पक्ष रखेगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों की सेवा भी ले जाएगी। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में इस आरक्षण के लिए कोई प्रयास ही नहीं किये। उन्होंने कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग का भी विरोधी बताया। सिंह ने कहा कि सन 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जातिगत आधार पर जनगणना का काम रोक दिया था। ऐसा नहीं होता तो उसी समय से इस वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता था। नगरीय विकास और आवास मंत्री का कहना था कि नेहरू से लेकर कमलनाथ तक की सरकारों ने ओबीसी आरक्षण को लेकर मामले को बिगाड़ने का काम ही किया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इस दिशा में पूरी गंभीरता के साथ प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार इस तथ्य को भी कोर्ट में प्रस्तुत करेगी कि मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग की बड़ी आबादी है तथा ऐसी विशेष परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट भी आरक्षण की हद बढ़ाने की बात कह चुकी है। गौरतलब है कि इस आरक्षण को लेकर राज्य उच्च न्यायालय में आगामी सुनवाई 10 अगस्त को होगी। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस सुनवाई में अपना पक्ष प्रभावी तरीके से रखने के लिए प्रदेश सरकार सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे चुकी है।

इस साल पुरानी...

दिया था। भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन (बाजार दर) 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव था। हालांकि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे हरी झंडी नहीं दी थी और 31 जुलाई तक गाइडलाइन बढ़ाने के फैसले को टाल दिया था। अब मुख्यमंत्री ने मौजूदा गाइडलाइन ही यथावत रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री चौहान ने बुधवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि मध्यप्रदेश शासन ने आमजन को राहत देने के उद्देनश्य से इस वर्ष संपत्ति की गाइडलाइन की दरों में वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। हालांकि, जानकार नगरीय निकाय चुनाव के चलते गाइडलाइन पर फैसला लेने की बात कह रहे हैं। आगामी दिनों में नगरीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। चूंकि, गाइडलाइन बढ़ने से उसका असर शहरी लोगों पर ज्यादा होना था। इसलिए सरकार ने मौजूदा गाइडलाइन ही जारी रखने का निर्णय लिया है। एमपी में रजिस्ट्री फीस बढ़ाने का मामला: निकाय चुनाव के चलते टल सकता है नई गाइडलाइन का फैसला, अभी 31 जुलाई तक है छूट, 19 से 20 प्रतिशत तक फीस बढ़ाने का प्रस्ताव।

एमपी बोर्ड की...

एडमिट कार्ड अपने पास रख लें। क्यौंकि उन्हेंट एडमिट कार्ड से अपना रोल नंबर प्राप्ते होगा। एमपीबीएसई कक्षा 12वीं का परिणाम कक्षा 10 के अंकों के आधार पर तैयार किया गया है। छात्रों को उनकी कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त सबसे अच्छे 5 अंकों के आधार पर स्को र दिया गया है। हालांकि, राज्य सरकार ने पहले स्पष्ट किया था कि जो छात्र अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, वे परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद आयोजित होने वाली विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। साल 2020 में, कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में कुल 8.5 लाख छात्र उपस्थित हुए, जिनमें से 68.81 प्रतिशत पास हुए। इस साल, बोर्ड को पिछले वर्ष की तुलना में ज्या दा पास प्रतिशत प्राप्त करने की उम्मीद है।

सोनिया से मिलीं ..

करता है, अगर कोई और नेतृत्व करता है तो उससे कोई समस्या नहीं है। टीएमसी अध्यक्ष ने कहा कि किसी को तो नेतृत्व करना ही है। समय आने पर चर्चा करेंगे। मैं अपनी राय नहीं थोपना चाहती। मैं सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल से मिल रही हूं। लालू यादव ने कल फोन पर बात की। रोज हम बात कर रहे हैं। अभी तीन साल है। हम चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा सभी के लिए सम्मान है। सोनिया गांधी विपक्ष की एकजुटता चाहती हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी से देश की टक्कर होगी। लोकतंत्र को बचाने के चेहरे आ जाएंगे। मैं बनारस, मथुरा, वृंदावन जाऊंगी। ये मेरा देश है। ममता बनर्जी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करने वाली हैं। बता दें कि मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि कोरोना टीकाकरण और बंगाल का नाम बदले जाने को लेकर चर्चा की।

लोकतंत्र की आत्मा ...

कि कहा जा रहा है कि हम संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। हम संसद को बाधित नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। इस हथियार का उपयोग देश के खिलाफ किया गया है। राहुल गांधी ने सवाल किया कि इस हथियारों का उपयोग आतंकवादियों के खिलाफ करना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं कि इसका इस्तेमाल लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ क्यों किया गया? उन्होंने दावा किया कि पेगासस का मामला राष्ट्रवाद का मामला है। मेरे लिए यह निजता का मामला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने देश के लोकतंत्र की आत्मा पर चोट मारी है। इसलिए हम इस पर चर्चा चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि संसद की कार्यवाही नहीं चलने के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि पेगासस के मुद्दे पर सभी विपक्षी दल एकजुट हैं। शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। सरकार को खुद आगे आकर कहना चाहिए कि हम चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने विश्वासघात किया है।

जयशंकर और...

का स्वागत किया। जयशंकर के साथ वार्ता से पहले ब्लिंकन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों समेत अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पर बातचीत की। ब्लिंकन ने सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। बैठक के बाद ब्लिंकन ने ट्विटर पर कहा कि अमेरिका और भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे आज सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मिलकर खुशी हुई। अमेरिका और भारत लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता साझा करते हैं। यह हमारे संबंधों की बुनियाद का हिस्सा है और भारत के बहुलवादी समाज और सद्भाव के इतिहास को दर्शाता है। नागरिक संस्थाएं इन मूल्यों को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। ब्लिंकन मंगलवार शाम नयी दिल्ली पहुंचे। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका भारत के 'अग्रणी वैश्विक शक्ति' के रूप में उभरने का समर्थन करता है और हिन्द-प्रशांत क्षेत्र को शांति, स्थिरता का क्षेत्र बनाने में व्यापक साझेदार के रूप में उसकी भूमिका को स्वीकार करता है। अमेरिका ने दोनों देशों के संबंधों पर एक तथ्य पत्र में कहा कि भारत एक अग्रणी वैश्विक शक्ति और हिन्द-प्रशांत तथा इससे भी आगे अमेरिका का महत्वपूर्ण साझेदार है। ब्लिंकन और जयशंकर के बीच वार्ता के एजेंडे से वाकिफ सूत्रों ने कहा कि अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा, कोविड-19 से निपटने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के मद्देनजर पिछले कुछ हफ्ते में अफगानिस्तान में आतंकी हमले बढ़े हैं। अफगानिस्तान से 31 अगस्त तक सभी अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो जाएगी। वार्ता में भारत, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से स्थिति जटिल होने और आतंकवाद के वित्तपोषण तथा आतंकी पनाहगाहों पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाए रखने को भी कह सकता है। भारत और अमेरिका के बीच कारोबार संबंध, निवेश बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है।

बसवराज बोम्मई ...

सहमति है। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एस आर बोम्मई के बेटे बोम्मई सोमवार को भंग हुई येदियुरप्पा की मंत्रिपरिषद में गृह मामलों, कानून, संसदीय मामलों और विधायी मामलों के मंत्री थे। कर्नाटक में एच डी देवगौड़ा और एच डी कुमारस्वामी के बाद यह पिता-पुत्र की दूसरी जोड़ी है जो मुख्यमंत्री बने हैं। बोम्मई हावेरी जिले में शिगगांव से तीन बार के विधायक हैं तथा दो बार वह पार्षद रहे हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री प्रधान और जी किशन रेड्डी, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं कर्नाटक के प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील और राष्ट्रीय महासचिव सी टी रवि तथा कई अन्य नेता मौजूद रहे। प्रधान और रेड्डी को विधायक दल की बैठक के लिए भाजपा के संसदीय बोर्ड ने केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। बुधवार को बोम्मई ने अकेले शपथ ली। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ''मैंने केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान, किशन रेड्डी और महासचिव सिंह से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा कि आज इस पर चर्चा नहीं करते हैं, जब वे दिल्ली वापस चले जाएंगे तब देखते हैं।

In The Court of I Civil Judge Class II, District Court, Sehore Presiding Officer श्री जितेन्वर सिंह परमार

आदेश 3 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु RCSA/0000011/20-21

अनवर खा......... वांदी
विरुद्ध
अफजल मोम्मद परितिवादी....

Process ID 20-21

पेशी दिनांक 11/08/2021

परेषिती

(1) अफजल मोहम्मद खांन पिता लाल मोहम्मद खान पता ग्राम परतबाहा आचलपुर जिला अमरावती महाराष्ट हाल निवासी मादान तहसील इछावर जिला सीहोर

यह कि प्रार्थी अनवर खां ने आपके विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा एवं स्वत्व घोषणा हेतु के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर बाद का उत्तर देने के लिये उपरांजात/हाजिर होने के लिए लगे सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसी प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस बाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतरिक्षा का लिखित कथन प्ररस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दाबे या पुरतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रवििष्ट करें। आपको सुचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होगे तो बाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावे। यह आज तारीख 27 जुलाई 2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा दिया गया है।

133639

म.प्र व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 म.प्र

//जाहिर सूचना//

ग्राम आमोदा तहसील गौहरगंज जिला रायसेन म.प्र.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने श्री प्रेमनारायण एवं नीलेश माण्डली पुत्रगण श्री गंगाराम निवासी ग्राम आमोदा, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम अमोदा, पटवारी हल्का नम्बर 12/50, राजस्व निरीक्षक मण्डल गौहरगंज, विकास खण्ड औबेदुल्लागंज, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) में स्थित है, जिसका खसरा नम्बर 356, रकबा 1.206 हेक्टयर अर्थात 2.98 एकड़ उक्त भूमि को क्रय करने का सौदा तय कर लिया गया है एवं बयाना राशि का भुगतान कर दिया गया है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था सोसायटी, बैंक, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय को कोई आपत्ति, ऋण भार व अन्य कोई हित हो या उक्त कृषि भूमि कही दान, बंधक, गिरवी, हस्तांतरण विक्रय, विक्रय अनुबंध इत्यादि हो तो वह व्यक्ति, फार्म, बैंक अथवा संस्था इस सूचना प्रकाशन के 07 (सात) दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित में मय दस्तावेज प्रमाण सहित आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा मेरे पक्षकार द्वारा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन अपने पक्ष में करा लिया जावेगा, ऐसी स्थिति में कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी। दिनांक 28/7/2021

भवदीय
विनोद यादव एडवोकेट, कर्मा लॉ चेम्बर
औबेदुल्लागंज तहसील-गौहरगंज
जिला रायसेन म.प्र.
मो. 8827113285, 9755157923

133638

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स इंटरप्राईजिंग टेक्नोकेट्स, भू-खण्ड क्रमांक 23, एव 23-ए, सेक्टर-एच, औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा, भोपाल में स्थापित एक औद्योगिक इकाई है। जिसका संचालन प्रोप्राईटर के रूप में श्री तोफिक मो. खान द्वारा किया जा रहा था। इकाई की प्रोप्राईटर श्री तोफिक मो. खान कि दिनांक 21.05.2021 को मृत्यु होने पश्चात। स्वर्गीय श्री तोफिक मो. खान के एकमात्र पुत्र श्री जुबैर मो. खान ने इस कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर इकाई संचालन की अनुमति चाही गई है। इकाई मेसर्स इंटरप्राईजिंग टेक्नोकेटस. भ-खण्ड क्रमांक- 23, एंव 23-ए, सेक्टर-एच, औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा, भोपाल में श्री जुबैर मो. खान आत्मज स्वर्गीय श्री तोफिक मो खान को इकाई में प्रोप्राईटर के रूप में मान्य कर इकाई संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने से यदि किसी जन साधारण, शासकीय/अशासकीय कार्यालय, वित्तीय संस्थान/बैंक को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, गायत्री शक्तिपीठ के सामने, होशंगाबाद रोड, भोपाल के कार्यालय में ठोस प्रमाण सहित अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नियत दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2021 के नियम के तहत इकाई मेसर्स इंटरप्राईजिंग टेक्नोकेट्स, भू-खण्ड क्रमांक-23, एंव 23-ए, सेक्टर-एच, औद्योगिक क्षेत्र गोविंदपुरा, भोपाल के गठन में परिवर्तन कर श्री जुबैर मो. खान आत्मज स्वर्गीय श्री तोफिक मो खान को इकाई में प्रोप्राईटर के रूप में मान्य कर इकाई संचालन की अनुमति इस कार्यालय द्वारा प्रदान कर दी जायेगी। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी और न ही उस पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जावेगी।

महाप्रबंधक
जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, भोपाल

नाम परिवर्तन सूचना

मैं CHANDRABHAN TIWARI S/O, BAIJNATH PRASAD TIWARI निवासी-127 ए- ब्लाक, प्रेमनगर, नारियलखेड़ा, भोपाल (म.प्र.) का हूं। यह कि मेरे पुत्र ASHRAY TIWARI की अंकसूची, दस्तावेजों में मेरा नाम C B TIWARI दर्ज हो गया है। जहां कहीं भी मेरा नाम दर्ज है। उसके स्थान पर CHANDRABHAN TIWARI पढ़ा एवं लिखा जावें।

पुराना नाम
CB TIWRI
नया नाम
CHANDRABHAN TIWARI

न्यायालय नायब तहसीलदार,तहसील कोलार,जिला भोपाल

प्र.क्र.-0595/अ-6/21-22

//इश्तहार//

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रकरण में आवेदक सतीष वर्मा पिता/पत्नी/पुत्री आर.एल वर्मा द्वारा ग्राम बंजारी प.ह.ल. स्थित खसरा क्रमांक 41 रकबा 77 हे0 का पंजीकृत विक्रय पत्र/फौती नामांतरण/दानपत्र/हक व्याग पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के उपरांत आगामी पेशी दिनांक 12/8/2021 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 28/7/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

133637

नयाव तहसीलदार तहसील कोलार, जिला भोपाल

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म. प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, प्रक्षेत्र, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक, भोपाल

आम-सूचना

हाऊसिंग बोर्ड, ई-7 अरेरा कालोनी, भोपाल में स्थित भवन क्रमांक एल.आई.जी /बी-257 मण्डल द्वारा श्रीमती माधुरी जाऊलकर पत्नी श्री माधवा जाऊलकर के नाम से आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय से दिनांक 31/3/1999 को पंजीकृत है। श्रीमती माधुरी जाऊलकर का स्वर्गवास दिनांक 12/2/2021 को हो गया है। श्रीमती माधुरी जाऊलकर ने अपने जीवनकाल में उक्त सम्पत्ति की वसीयत अपने पुत्र श्री विकास जाऊलकर आत्मज श्री माधवा जाऊलकर के पक्ष में दिनांक 19/11/2003 को निष्पादित की है। आवंटी के पुत्र श्री विकास जाऊलकर आत्मज श्री माधवा जाऊलकर द्वारा आवेदन शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत वसीयतनामा व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति अपने नाम से नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, उक्त दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

133633

सम्पदा अधिकारी
म प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म.
प्रक्षेत्र, भोपाल

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म. प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, प्रक्षेत्र, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक, भोपाल

आम-सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,रूसल्ली, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित भवन क्रमांक सीनियर एम.आई.जी.-40(कार्नर) मण्डल द्वारा श्री रनेन्द्र विश्वकर्मा आत्मज श्री आर.एस. विश्वकर्मा के नाम पर आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख दिनांक 05/10/2018 को पंजीकृत है। श्री नरेन्द्र विश्वकर्मा आत्मज श्री आर.एस. विश्वकर्मा द्वारा उक्त सम्पत्ति(1) श्री मोहम्मद असलम खॉ आत्मज श्री मुंशी खॉ (2) श्रीमती नसरीन बी पत्नी श्री मोहम्मद असलम खॉ को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 28/1/2019 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति (1) श्री मोहम्मद असलम खॉ आत्मज श्री मुंशी खॉ (2) श्रीमती नसरीन बी पत्नी श्री मोहम्मद असलम खॉ के नाम से हस्तांतरित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

133634

सम्पदा अधिकारी
म प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म.
प्रक्षेत्र, भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार,तहसील कोलार,जिला भोपाल

प्र.क्र.-0583/अ-6/21-22

//इश्तहार//

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रकरण में आवेदक भारती वर्मा पिता/पत्नी/पुत्री सतीष वर्मा द्वारा ग्राम बंजारी प.ह.ल. स्थित खसरा क्रमांक 69 रकबा 99 हे0 का पंजीकृत विक्रय पत्र/फौती नामांतरण/दानपत्र/हक व्याग पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के उपरांत आगामी पेशी दिनांक 12/8/2021 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 28/7/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

133636

नयाव तहसीलदार तहसील कोलार, जिला भोपाल

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार शत्रुघन शरन सक्सेना आत्मज स्व.श्री मंगलीप्रसाद सक्सेना आयु लगभग 70 वर्ष निवासी म.नं. सी-39, आम्र ईडन पार्क राजहर्ष कॉलोनी कोलार रोड भोपाल स्थाई पता म.नं.40 टाईप 3, शांति विहार कालोनी विनम्र खंड गोमती नगर लखनऊ का है, उनके अनुज पुत्र सुदीप सक्सेना एवं उसकी पत्नि मोनिका श्रीवास्तव आयु वयस्क के चालचलन तथा व्यवहार ठीक नहीं है तथा दोनों द्वारा हमेशा मुझे मेरी पत्नि श्रीमती रेखा सक्सेना एवं मेरे बड़े पुत्र संदीप सक्सेना को प्रताड़ित करते रहते है, काफी सोच विचार कर हम परिवार के सभी सदस्यों ने यह तय किया कि अपने अनुज पुत्र सुदीप सक्सेना तथा उसकी पत्नि मोनिका सक्सेना को हमेशा के लिए त्याग कर रहे है एवं भविष्य में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना है इसलिये अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे अनुज पुत्र सुदीप सक्सेना एवं पत्नि मोनिका सक्सेना से किसी भी प्रकार का लेन देन रखते है तो इनकी स्वयं की जिम्मेदारी रहेगी।

मदन नंदन सहाय
अधिवक्ता
कार्यालय-एलआईजी-203, हाउसिंग बोर्ड कालोनी टीलाजमालपुरा भोपाल
मो.नं. 9303135336

133629

आम सूचना

दिनांक : 28.07.2021

भवन क्रमांक-41 लोहा बाजार वार्ड क्र-21 जिला भोपाल म.प्र.

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक किता भवन क्र.41 लोहा बाजार भोपाल में स्थित है उक्त सम्पत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा कोई विक्रय अनुबंध, दान, मुख्तारनामा आदि के माध्यम से कोई हस्तांतरण किया जाता है तो वह प्रारंभतः अवैध एवं शून्य माना जावेगा जिसकी होने वाली क्षति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह आवश्यक दस्तावेज सहित सात दिवस के अन्दर मेरे कार्यालय में संपर्क करें।

स्थान : भोपाल

भवदीय,
मोहन ठाकुर
एडवोकेट
कार्यालय-65, करोद कला कुमार टेलर की गली, बैरसिया रोड भोपाल (म.प्र.) मो. 9893464251

133627

आम सूचना

दुकान नम्बर 2 बस स्टाप नम्बर 11, ई-7 शाहपुरा भोपाल

मेरे पक्षकार के निर्देशानुसार सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार ने श्रीमति लतिका चौहान पत्नि श्री संदीप चौहान निवासी 64 अमलतालस कालोनी फेस II चूनाभट्टी भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की दुकान नम्बर 2 म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवन के भूतल पर स्थित 11 नम्बर बस स्टाप ई-7 शाहपुरा भोपाल जिसका कुल क्षेत्रफल 97.91 वर्गफिट है को क्रय करने का अनुबंध किया है उपरोक्त दुकान कही बन्धक हो या उक्त सम्पत्ति पर या उसके किसी भाग पर किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था, व्यक्ति, वित्तीय संस्था, बैंक, सोसायटी एवं अन्य अनुबंधकर्ता या अन्य व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई ऋण, हित, स्वत्व, संबंध या किसी प्रकार का कोई लेन-देन हो अथवा उक्त दुकान कही रहन, भार, बन्धक, साम्यक बन्धक, आदि हो तो वह इस आम सूचना प्रकाशन की तीन दिवस की अवधि में मय दस्तावेजी साक्ष्य सहित लिखित में मेरे कार्यालय के पते पर आपत्ति प्रस्तुत करें एवं व्यक्तिगत रूप से सूचित करे समयावधि निकल जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा, स्वत्व, या आपत्ति मेरे पक्षकार पर बंधनकारी नहीं होगी एवं मेरा पक्षकार उक्त दुकान को क्रय करने व उसका रजिस्ट्री अपने पक्ष में निष्पादित करवाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

भवदीय
मुकेश कुमार दुबे
'एडवोकेट'
कार्यालय-17 गुर्जर शापिंग काम्पलेक्स जैन मंदिर तुलसी नगर भोपाल म.प्र.
मो.नं. 9425022507

133628

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म. प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, प्रक्षेत्र, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक, भोपाल

आम-सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल में स्थित भवन क्रमांक ई.डब्ल्यू.एस.-479 मण्डल द्वारा श्री दीपक तुमराम आत्मज श्री एच.एल. तुमराम के नाम पर आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख/त्याग पत्र दिनांक 06/07/2004 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 15/01/2014 को पंजीकृत है। श्री दीपक तुमराम का स्वर्गवास दिनांक 10/04/2021 को हो गया है। आवंटी की पत्नी श्रीमती रजनी तुमराम आत्मज स्व. श्री दीपक तुमराम द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मण्डल का निधारित आवेदन पत्र, अन्य वारिसों के अनापत्ति शपथ पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति अपने नाम से नामांतरण करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया है, उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त समपत्ति के नामांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

133630

सम्पदा अधिकारी
म प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म.
प्रक्षेत्र, भोपाल

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म. प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, प्रक्षेत्र, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक, भोपाल

आम-सूचना

हाऊसिंग बोर्ड, सहयादि एन्कलेव, भदभदा रोड, भोपाल में स्थित सीनियर एच.आई.जी. फ्लेट क्रमांक एस.एच.-91(तृतीय तल) ब्लाक नं.- 12 मण्डल द्वारा श्रीमती पद्मजा दुबे पत्नी स्व. श्री सुनील दुबे के नाम आवंटित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 27/5/2016 को पंजीकृत है। श्रीमती पद्मजा दुबे पत्नी स्व. श्री सुनील दुबे द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री विश्वास कुमार भटेले आत्मज स्व. श्री रामसेवक भटेले को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख का पंजीयन पंजीयक कार्यालय में दिनांक 26/3/2021 को निष्पादित करा दिया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति श्री विश्वास कुमार भटेले आत्मज स्व. श्री रामसेवक भटेले के नाम हस्तांतरण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये है। उक्त दस्तावेजों एवं विक्रय विलेख के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

133631

सम्पदा अधिकारी
म प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म.
प्रक्षेत्र, भोपाल

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म. प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, प्रक्षेत्र, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक, भोपाल

आम-सूचना

हाऊसिंग बोर्ड,न्यू एम.पी.एम.एल.ए. क्वार्टर, नियर एम.पी.एस.आर.टी.सी. जवाहर चौक, भोपाल में स्थित भूखण्ड क्रमांक-03 मण्डल द्वारा श्री गौरव खण्डेलवाल आत्मज श्री हरीश खण्डेलवाल के नाम से हस्तांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 30/11/2012 को पंजीकृत है। श्री गौरव खण्डेलवाल आत्मज श्री हरीश खण्डेलवाल द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री विभूति नयन मिश्र आत्मज श्री अभय मिश्र को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसके विक्रय विलेख का पंजीयन पंजीयक कार्यालय में दिनांक 16/6/2021 को निष्पादित करा दिया है। क्रेता/विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति श्री विभूति नयन मिश्र आत्मज श्री अभय मिश्र के नाम उक्त संपत्ति हस्तांतरण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये है। उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति/ उत्तराधिकारी/ संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

133632

सम्पदा अधिकारी
म प्र. गृह नि. एवं अधो. वि. म.
प्रक्षेत्र, भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार,तहसील कोलार,भोपाल

क्रमांक-/अ-6-2020-21

//इश्तहार//

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रकरण में आवेदक श्रीमती/लक्ष्मी बाई आ. पत्नि स्व श्री घनश्याम पाटीदार निवासी-भोपाल भोपाल के द्वारा ग्राम सलैया एककिता भूमि जो कि स्थित खसरा नंबर 301,302,303 व अन्य का अंश प्लॉट क्र.57 रकबा-104.32 वर्गमीटर भूखण्ड क्रमांक-57 के अंश भाग पंजीकृत फौती नामातंरण/ के आधार पर नामातंरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में किसी व्यक्ति /संस्था को आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के जारी होने के उपरांत आगामी पेशी दिनांक 12/8/2021 इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत करे। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 28/7/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

133635

नयाव तहसीलदार तहसील कोलार, भोपाल